

12



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झाँसी

कार्य परिषद की बैठक

दिनांक 28-04-2018
की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

दिनांक 28.04.2018 को अपराह्न 03:30 बजे आहूत कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही—

उपस्थिति —

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. प्रो. सुरेन्द्र दुबे | — कुलपति/अध्यक्ष |
| 2. प्रो. आर. के. सैनी | — सदस्य |
| 3. प्रो. पूनम पुरी | — सदस्य |
| 4. प्रो. शिव कुमार कटियार | — सदस्य |
| 5. प्रो. सुरेश चन्द्र | — सदस्य |
| 6. डा. नन्दलाल शुक्ला | — सदस्य |
| 7. डा. डी. के. भट्ट | — सदस्य |
| 8. डा. शिप्रा सक्सेना | — सदस्य |
| 9. डा. अंजू दत्त | — सदस्य |
| 10. डा. वी. के. सिंह | — सदस्य |
| 11. डा. सतीश कुमार | — सदस्य |
| 12. प्रो. प्रेमशंकर मिश्रा | — सदस्य |
| 13. प्रो. एम. एम. सिंह | — विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 14. प्रो. शिवकुमार कटियार | — कार्यवाहक वित्त अधिकारी |
| 15. श्री चन्द्रपाल तिवारी | — कुलसचिव/सचिव |
| 16. श्री राकेश कुमार | — परीक्षा नियंत्रक/ विशेष आमंत्रित |

कार्यवाही —

01. कार्यपरिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 24.03.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 24.03.2018 की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

02. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

03. परीक्षा समिति की बैठकों दिनांक 25.03.2018 एवं 26.04.2018 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठकों दिनांक 25.03.2018 एवं 26.04.2018 की कार्यवाहियों का अनुमोदन किया गया।

04. आर्किटेक्चर एवं टाउन प्लानिंग विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 31 मार्च 2018 को आयोजित चयन समिति की बैठक में की गई संस्तुतियों के बन्द लिफाफे परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अध्यक्ष द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि अपरिहार्य कारणों से इस बैठक में उपर्युक्त चयन समिति की संस्तुतियों के बन्द लिफाफे नहीं खोले जा रहे हैं। यह बिन्दु परिषद् की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

05. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।

(1) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ को बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग से हिन्दी विभाग में स्थानान्तरित करने पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ को बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग से हिन्दी भवन के प्रथम तल पर बने नये कक्ष में स्थानान्तरित कर दिया जाए। उसी तल पर बने नये लघु सभागार का नाम 'वृन्दावनलाल वर्मा लघु सभागार' करने का भी निर्णय लिया गया। पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ का संयोजक हिन्दी विभाग के वरिष्ठ शिक्षक होंगे।

(2) प्रो. आर. के. सैनी को विश्वविद्यालय का कुलानुशासक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/9768-76 दिनांक 24.04.2018 के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रो. एम. एल. मौर्य के स्थान पर प्रो. आर. के. सैनी - संकायाध्यक्ष, इंजीनियरिंग को अगले आदेशों तक विश्वविद्यालय का कुलानुशासक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/9768-76 दिनांक 24.04.2018 का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(3) विश्वविद्यालय में एडवरटाइजिंग एण्ड अवेयरनेस सेल, विश्वविद्यालय कैरियर काउंसलिंग सेल, ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल के गठन हेतु निर्गत पत्र संख्या बु.वि./आर.सी./2018/116 दिनांक 20.04.2018 के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की भागीदारी बढ़ाने एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./आर.सी./2018/116 दिनांक 20.04.2018 के द्वारा गठित विश्वविद्यालय एडवरटाइजिंग एण्ड अवेयरनेस सेल, विश्वविद्यालय कैरियर काउंसलिंग सेल, ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल के गठन से अवगत हुई।

1) सत्र 2018-19 में विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र - छात्राओं की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार - विमर्श।

सत्र 2018-19 में विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र - छात्राओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

(क) प्रवेश परीक्षा/ सीधे प्रवेश हेतु ऑन लाइन के साथ - साथ ऑफ लाइन आवेदन किये जाने की सुविधा भी प्रदान की जाने का प्रस्ताव कुलसचिव द्वारा दिया गया। उन्होंने परिषद् को अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्रायें ऑनलाइन की जानकारी के अभाव में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं तथा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश संख्या भी कम हो जाती है। अतः विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश बढ़ाने हेतु ऑनलाइन के साथ - साथ आफलाइन आवेदन भी आमंत्रित किये जाएं।

कुलसचिव के प्रस्ताव को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इसमें अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

(ख) इसी क्रम में कुलसचिव द्वारा डा. रामवीर सिंह - उपाचार्य, बायोमेडीकल साइंस को परिषद् के समक्ष बुलाया गया। डा. रामवीर सिंह ने परिषद् को अवगत कराया कि उन्होंने एक टीम बनाकर विभिन्न जिलों में जाकर वहाँ के डी.आई. ओ.एस. से सम्पर्क कर 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग की तथा विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से उन्हें अवगत कराया तथा उनकी रुचि के अनुसार ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने से भविष्य में होने वाले फायदों के सम्बन्ध में सूचित किया।

(ग) जिन पाठ्यक्रमों में यू.पी.टी.यू. की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होते हैं उनमें प्रवेश की सीमा 50 प्रतिशत यू.पी.टी.यू. से तथा 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश लिये जाने पर सहमति बनी।

परिषद् द्वारा उक्त कार्य की सराहना की गई।

(5) श्री पारसनाथ प्रसाद - सेवानिवृत्त परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय में परीक्षा सलाहकार नियुक्त किये जाने के अनुमोदन पर विचार।

श्री पारसनाथ प्रसाद- परीक्षा नियंत्रक के दिनांक 31 मार्च 2018 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में किये गए उत्कृष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सत्र 2017-18 के मूल्यांकन एवं परीक्षाफल घोषित किए जाने के परिप्रक्ष्य में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में 30 जून 2018 तक के लिये परीक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उक्त सूचना से परिषद् अवगत हुई तथा श्री प्रसाद को दिये जाने वाले मानदेय के निर्धारण के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उन्हें सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन एवं निर्धारित पेंशन का डिफरेंस मानदेय के रूप में प्रदान किया जाये।


- (6) परिषद् के समक्ष कुलसचिव ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न नियमित एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों की मई -2018 में प्रस्तावित सेमेस्टर / वार्षिक परीक्षाएं सम्बन्धित विभागों में न होकर एक साथ परीक्षा भवन में आयोजित कराई जाए।

परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान करते हुये परीक्षा कार्यक्रम एवं केन्द्र बनाये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव को अधिकृत किया।

- (7) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में चल रहे पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षण सहायकों से से 2017-18 से मूल्यांकन कराया जाना प्रारम्भ किया गया। साथ ही पठन पाठन को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें केन्द्रीय पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत करने का भी निर्णय लिया गया। परिषद् उक्त सूचना से अवगत हुई।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।


(चन्द्रकांत तिवारी)
कुलसचिव


(प्रो. सुरेन्द्र दुबे)
कुलपति